

असाधारण सामान्य बैठक के लिए नोटिस Notice for Extraordinary General Meeting

सोमवार, 28 सितंबर, 2015, प्रातः 10.30 बजे, वडोदरा
Monday, 28th September, 2015 at 10.30 a.m. At Vadodara



निवेशक सेवाएं विभाग:

बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, तृतीय तल, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
ई-मेल: investorservices@bankofbaroda.com

INVESTORS' SERVICES DEPARTMENT

Baroda Corporate Centre, 3rd Floor, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051.
Email: investorservices@bankofbaroda.com

विषय
CONTENTS

पृष्ठ सं.
Page No.

नोटिस

NOTICE 02

टिप्पणियां

NOTES 04

व्याख्यात्मक विवरण एवं प्रकटीकरण

EXPLANATORY STATEMENT AND DISCLOSURE 08

प्रॉक्सी फार्म

FORM OF PROXY 11

बैंक ऑफ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय : मांडवी, बड़ौदा 390 006

कार्पोरेट कार्यालय : बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26, जी ब्लॉक,
बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

Bank of Baroda

Head Office : Mandvi, Baroda – 390 006

Corporate Office : Baroda Corporate Centre, C-26, G Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051

नोटिस

एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि निम्नलिखित कारोबार का संचालन करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक सोमवार, 28 सितंबर, 2015 को प्रातः 10.30 बजे सर सयाजीराव नगर गृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, टी.पी.-1, एफ.पी. 549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा - 390020 में संपन्न होगी.

‘विशेष संकल्प’ के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन सहित अथवा संशोधन के बिना पारित करना.

“यह संकल्प किया जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके बाद जिसे ‘योजना’ कहा गया है) और बैंक ऑफ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998 के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (इसके बाद जिसे ‘अधिनियम’ कहा गया है) के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड और/या इस बारे में अपेक्षित अन्य किसी प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन और ऐसे अनुमोदन की मंजूरी में उनके द्वारा निर्धारित ऐसे नियमों, शर्तों और उसमें संशोधनों के अध्यक्षीन और जिस पर बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति होगी और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2009 अद्यतन तारीख को यथा संशोधित (सेबी आईसीडीआर विनियमन) और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य सभी संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों के अध्यक्षीन और स्टॉक एक्सचेंजों, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ किए गए सूचीकरण करार के अध्यक्षीन बैंक के शेयरधारकों की सहमति है और एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसे यहां इसके पश्चात् बोर्ड कहा गया है जिसमें एक समिति का समावेश होगा जिसे बोर्ड द्वारा इस संकल्प के तहत प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों को प्रयुक्त करने के लिए गठित किया जाएगा और/या गठित कर सकेगा) को सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियमों के अनुसार निर्धारित की जाने वाली प्रीमियम पर ₹ 2/- (रुपए दो मात्र) प्रति इक्विटी शेयर नकद मूल्य पर 1786 करोड़ रुपये (एक हजार सात सौ छियासी करोड़ रुपये केवल) का सृजन करने, उन्हें ऑफर करने, उन्हें जारी करने और उन्हें भारत सरकार को अधिमानता आधार पर आबंटित करने की मंजूरी दी जाती है.”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम मूल्य के निर्धारण हेतु संबद्ध तारीख 28 अगस्त 2015 है.”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल के पास भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड / स्टॉक एक्सचेंजों, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं अथवा ऐसे अन्य उचित प्राधिकारियों से शेयरों

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of BANK OF BARODA will be held on **Monday, 28th September 2015, at 10.30 a.m. at Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, T. P. – 1, F. P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Vadodara – 390 020** to transact the following business:

To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following resolution as a “**Special Resolution**”:

“**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (herein after referred to as the ‘Act’) read with the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 (herein after referred to as the ‘Scheme’) and Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 as amended up to date (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “the Board” which shall be deemed to include a Committee which the Board may have constituted/ may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot up to such number of equity shares of ₹ 2/- each (Rupees Two only) for cash at a premium to be determined in accordance with SEBI ICDR Regulations, aggregating upto ₹ 1786/- crore (Rupees One Thousand Seven Hundred and Eighty Six Crore only), on preferential basis to Government of India.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Relevant Date for determination of the Issue Price is **28th August 2015**.

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve

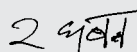
के निर्गम, आबंटन एवं उनको सूचीबद्ध करने हेतु उनके अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करने/मंजूरी के समय उक्त प्रस्ताव में यथा अपेक्षित अथवा लागू किए गए किसी भी प्रकार के आशोधन को निदेशक मंडल की सहमति के अनुरूप स्वीकार करने का प्राधिकार एवं शक्ति होगी.”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले उक्त इक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समतुल्य माने जाएंगे और यदि कोई लाभांश घोषित किया जाता है तो ऐसी घोषणा के समय प्रवृत्त सांविधिक दिशा-निर्देशों के अनुसार उसके हकदार होंगे.”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के प्रयोजन हेतु बोर्ड पूर्णतः अपने विवेकानुसार आवश्यक, उचित तथा वांछनीय प्रतीत होने वाले ऐसे सभी कार्यों, विलेखों, मामलों तथा कृत्यों को करने के लिए प्राधिकृत है और उसे एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है और वह इक्विटी शेयरों के निर्गम के संबंध में उठने वाले किसी भी प्रश्न, समस्या या संदेह का निपटान करने और ऐसे सभी कार्यों, विलेखों, मामलों और कृत्यों को करने, अपने पूर्णतः विवेकानुसार शेयरधारकों की आगे कोई और सहमति या अनुमोदन लिए बिना आवश्यक, वांछनीय या जरूरी सभी दस्तावेजों और लिखतों को अंतिम रूप देने और उन्हें निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत है अथवा शेयरधारकों की ओर से करने और उनकी ओर से अभिप्रेत, को करने के लिए अधिकृत करने हेतु इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा अभिव्यक्त किए गए अनुसार उनका अनुमोदन माना जाएगा.”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल प्राधिकृत है और एतद्वारा उसे प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक(कों) अथवा बैंक के किसी ऐसे अन्य अधिकारी को, जिसे वह उचित समझे, उपरोक्त संकल्प लागू करने हेतु, इसमें यहां प्रदत्त सभी अथवा किसी भी शक्ति को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है.”

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते बैंक ऑफ बड़ौदा


(रंजन धवन)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 25 अगस्त, 2015

प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Bank of India / Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the said equity shares to be issued shall rank *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders or authorise to the end and intent that the Shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director and CEO or Executive Director/s or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

By order of Board of Directors
For **BANK OF BARODA**



(Ranjan Dhawan)
Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: 25th August, 2015

टिप्पणियां :

1. व्याख्यात्मक विवरण

कार्य-सूची के मदों के बारे में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

2. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए पात्र शेयरधारक अपनी ओर से बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने हेतु पात्र होगा/होगी और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना जरूरी नहीं है। तथापि, इस तरह से प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा। प्रॉक्सी फॉर्म मान्य होने के लिए आवश्यक है कि उसकी प्रतिलिपि अधिप्रमाणित हो और वह असाधारण सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात् **बुधवार, 23 सितंबर, 2015** को बैंक के कारोबार समय की समाप्ति अर्थात् सायं 5.00 बजे तक या इससे पहले केवायसी एवं एएमएल विभाग, बैंक ऑफ बड़ौदा, 8वां तल, सूरज प्लाजा-1, सयाजीगंज, बड़ौदा-390 005 में स्थित प्रधान कार्यालय में प्राप्त हो जाए। कृपया नोट करें कि बैंक का कोई कर्मचारी अथवा अधिकारी बैंक ऑफ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998, समय-समय पर यथा संशोधित, के प्रावधानों के अनुसार प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी के विधिवत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने के लिए अथवा वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे यथा विधि प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति, जिसे उस बैठक के अध्यक्ष, जिसमें यह पारित किया गया हो, द्वारा अधिप्रमाणित किया गया हो, बैठक की तारीख से कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात् **बुधवार, 23 सितंबर, 2015** को बैंक के कारोबार समय की समाप्ति अर्थात् सायं 5.00 बजे तक या इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा, केवायसी एवं एएमएल विभाग, 8वां तल, सूरज प्लाजा-1, सयाजीगंज, वडोदरा-390 005 में स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय के पास जमा न कर दिया गया हो। कृपया नोट करें कि बैंक का कोई कर्मचारी अथवा अधिकारी बैंक ऑफ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998, समय-समय पर यथा संशोधित, के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति नहीं किया जा सकता।

4. उपस्थिति-पर्ची सह प्रवेश-पत्र :

शेयरधारकों की सुविधा के लिए, इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश-पत्र संलग्न है जिसमें ई-वोटिंग की लॉग-इन आईडी तथा पासवर्ड सहित वांछित विवरण पहले से ही मुद्रित है। शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने का विकल्प होगा। जो शेयरधारक ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग नहीं कर पाएंगे, वे असाधारण सामान्य बैठक स्थल पर होने वाले चुनाव के समय अपना वोट दे सकते हैं। ऐसे शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे दिए गए विवरण का सत्यापन करें तथा रिक्त स्थानों, यदि कोई हो, को भरें, उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उसे बैठक के स्थान पर

NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement concerning the agenda item is annexed hereto.

2. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT TO BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. However the Proxy so appointed will not have any right to speak at the meeting. The proxy form in order to be effective must be received at the Head Office situated at Bank of Baroda, AML Dept., 8th Floor, Suraj Plaza I, Sayajiganj, Vadodara – 390 005, not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank at 5.00 pm on **Wednesday, 23rd September 2015**. Please note that any employee or officer of the Bank cannot be appointed as proxy as per provision of Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time.

3. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of a Company or anybody corporate which is a Shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office situated at Bank of Baroda, AML Dept., 8th Floor, Suraj Plaza I, Sayajiganj, Vadodara – 390 005, not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank at 5.00 pm on **Wednesday, 23rd September 2015**. Please note that an employee or officer of the Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations 1998, as amended from time to time.

4. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS:

For the convenience of the Shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this Notice, with requisite details pre-printed with the e-voting log-in id and password. Shareholders have an option to cast their votes by using e-voting platform. Those who do not exercise e-voting facility can cast their vote at the voting to be conducted at the venue of the meeting on the date of the EGM. Such Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to verify the details and fill-in blanks, if any and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy /

सुपुर्द कर दें. शेयरधारक के प्रॉक्सी/प्रतिनिधि, जैसा मामला हो, उपस्थिति-पर्ची सह प्रवेश-पत्र में स्पष्ट करें कि वह "प्रॉक्सी" है या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" है.

5. मताधिकार

शेयरधारकों/लाभार्थी स्वामियों का वोटिंग/ई-वोटिंग अधिकार, सोमवार 21 सितंबर, 2015 (कट ऑफ तारीख) को कारोबार समाप्ति पर उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के आधार पर मान्य होगा.

अधिनियम की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्रीय सरकार से भिन्न तदनुरूपी नये बैंक का कोई भी शेयरधारक तदनुरूपी नये बैंक के सभी शेयरधारकों के **कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक** धारित शेयरों के बारे में मताधिकार का हकदार नहीं होगा.

6. ई-वोटिंग/चुनाव प्रक्रिया :

क. रिमोट ई-वोटिंग

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014, यथा संशोधित, के नियम 20 के साथ यथा पठित, स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीबद्धता अनुबंध के संशोधित खंड 35बी के अनुसरण में, आपके बैंक को अपने शेयरधारकों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिससे कि वे नोटिस में उल्लिखित मद पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट दे सकें. इसके लिए ई-वोटिंग प्लैटफॉर्म उपलब्ध कराने हेतु **कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड** को ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है. **ई-वोटिंग वैकल्पिक है.** मूर्त या अमूर्त (डिजिटैलिज्ड) रूप में बैंक के शेयर धारित करने वाले शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना वोट दे सकेंगे. बैंक ने मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रह्मण्यन एंड कं., प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों को ई-वोटिंग प्रक्रिया को उचित एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने हेतु संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है.

ई-वोटिंग से संबंधित अनुदेश निम्नानुसार है : -

- क) वोटिंग के लिए पोर्टल **गुरुवार, 24 सितंबर, 2015 को सुबह 9:00 बजे से रविवार, 27 सितंबर, 2015 को शाम 5:00 बजे (दोनों दिन शामिल) तक उपलब्ध रहेगा.**
- ख) ई-वोटिंग के लिए इस यूआरएल का उपयोग करें : **<https://evoting.karvy.com>**
- ग) लॉग-इन क्रेडेंसियल अर्थात् नोटिस से संलग्न उपस्थिति-पर्ची सह प्रवेश-पत्र में उल्लिखित यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्रविष्ट करें.
- घ) उपयुक्त रूप से ब्यौरा दर्ज करने के बाद लॉग-इन पर क्लिक करें.
- ङ) आप 'पासवर्ड बदले' मेनू में पहुंचेंगे, जहां आपको अनिवार्यतः अपना पासवर्ड बदलना होगा. नये पासवर्ड में एक 'अपर केस' (A से Z), एक लोअर केस (a से z), एक अंक (0-9) तथा एक

Authorized Representative of Shareholders should state on the Attendance-Slip-Cum-Entry-Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

5. VOTING RIGHTS

The voting/e-voting rights of the Shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on their holding of equity shares as on the close of the business hours on Monday, 21st September 2015 (cut-off-date).

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Act, no Shareholder of the corresponding new bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her **in excess of Ten percent of the total voting rights** of all the Shareholders of the corresponding new bank.

6. E-VOTING / POLL PROCESS:

A. Remote E-voting:

Pursuant to revised clause 35B of listing agreement with Stock Exchanges read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, your Bank is pleased to provide e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice for which Bank has appointed **Karvy Computershare Private Limited** as e-voting agency to provide the e-voting platform. **E-voting is optional.** Shareholders holding shares either in physical or in dematerialized form, can cast their votes electronically. The Bank has appointed M/s S.N. Ananthasubramanian & Co. Practicing Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

The instructions for E-Voting are as under:

- a) The Portal will remain open for voting from **9.00 a.m. on Thursday, 24th September 2015 to 5.00 p.m. on Sunday, 27th September 2015 (both days inclusive).**
- b) To use the following URL for e-voting: **<https://evoting.karvy.com>**
- c) Enter the login credentials i.e., user id and password mentioned in the Attendance Slip cum Entry Pass annexed with this Notice.
- d) After entering the details appropriately, click on LOGIN.
- e) You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise

विशेष कैरेक्टर सहित न्यूनतम 8 कैरेक्टर होंगे. सिस्टम आपको पहली बार लॉगिन करते समय पासवर्ड बदलने हेतु तथा मोबाइल नं. ई-मेल जैसे संपर्क के ब्यौरे में कोई अद्यतन जानकारी देनी हो तो उसे दर्ज करने हेतु संकेत देगा. आप यदि अपना पासवर्ड भूल गये हैं, तो उसे पुनः प्राप्त करने हेतु अपनी पसंद के गोपनीय प्रश्न और उत्तर की प्रविष्टि भी कर सकते हैं.

- च) आपको नये क्रेडेंसियल से पुनः लॉग-इन करना होगा.
- छ) सफलतापूर्वक लॉग-इन के बाद, सिस्टम आपको EVEN अर्थात् **बैंक ऑफ बड़ौदा** का चयन करने हेतु संकेत देगा.
- ज) वोटिंग पृष्ठ पर, कट ऑफ तारीख को शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या प्रदर्शित होगी. आप "FOR" / "AGAINST" के अंतर्गत कट-ऑफ तारीख के अनुसार शेयरों की संख्या प्रविष्टि कर सकते हैं अथवा वैकल्पिक रूप में आप "FOR" और "AGAINST" दोनों के लिए आंशिक तौर पर किसी भी संख्या में शेयरों की प्रविष्टि कर सकते हैं किन्तु "FOR" / "AGAINST" के लिए प्रविष्टि कुल शेयरों की संख्या कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए. आप ABSTAIN विकल्प को भी चुन सकते हैं.
- झ) एक से अधिक फोलियो/डिमेंट खाता रखने वाले शेयरधारकों को प्रत्येक फोलियो/डिमेंट खाते के लिए अलग से वोटिंग प्रक्रिया का चयन करना होगा. तथापि, शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के अधीन, भारत सरकार से भिन्न अन्य कोई शेयरधारक, सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक धारित शेयरों के बारे में मताधिकार का हकदार नहीं होगा.
- ञ) उचित विकल्प का चयन करके वोट करने के बाद SUBMIT पर क्लिक करें. इस पर पुष्टि का एक बॉक्स प्रदर्शित होगा. पुष्टि करने हेतु OK पर क्लिक करें, अन्यथा परिवर्तन करने हेतु CANCEL पर क्लिक करें. एक बार पुष्टि करने के बाद आप वोट में परिवर्तन नहीं कर सकते. वोटिंग अवधि के दौरान, शेयरधारक कार्यसूची पर वोट देने तक कितनी ही बार लॉग-इन कर सकते हैं.
- ट) संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अतिरिक्त) जो वोट देने हेतु प्राधिकृत हों, उन्हें विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरियों के अधिप्रमाणित हस्ताक्षरों सहित संबद्ध बोर्ड/संकल्प के प्राधिकार-पत्र की स्कैन (पीडीएफ/जेपीजी) प्रति scrutinizer@snaco.net पर ई-मेल के माध्यम से संवीक्षक को भेजनी अपेक्षित है.
- ठ) अगर आप एक बार वोट दे देते हैं तो उसके बाद आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते.
- ड) आपका यदि कोई प्रश्न हो तो आप <https://evoting.karvy.com> पर डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल संबंधी प्रायः पूछे जाने वाले

of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it.

- f) You need to login again with the new credentials.
- g) On successful login, the system will prompt you to select the EVEN i.e., **Bank of Baroda**.
- h) On the voting page, the number of shares as held by the Shareholder as on the cut-off date will appear. You may enter the number of shares as on the cut-off date under "FOR"/ "AGAINST" or alternately you may enter partially any number in FOR and partially in AGAINST but the total number in "FOR"/ "AGAINST" taken together should not exceed the total shareholding. You may also choose the option ABSTAIN.
- i) Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folio / demat account. **However, Shareholder may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no Shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all the Shareholders of the Bank.**
- j) Cast your vote by selecting an appropriate option and click on SUBMIT. A confirmation box will be displayed. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, Shareholders can login any number of times till they have voted on the Agenda.
- k) Institutional Shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail i.e. scrutinizer@snaco.net
- l) Once you have cast your vote, you will not be allowed to modify it subsequently.
- m) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting User Manual for

प्रश्न (FAQ) का अवलोकन कर सकते हैं अथवा कार्की कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. के श्री एस. वी. राजू (यूनिट : बैंक ऑफ़ बड़ौदा) से 040 67162222 या 1800 345 4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं.

- ढ) हम इस बात की पुरजोर सिफारिश करते हैं कि आप अपना पासवर्ड किसी को न बताएं तथा इसे गोपनीय बनाए रखने हेतु पूरी सावधानी बरतें.
- ण) यदि कोई व्यक्ति असाधारण सामान्य बैठक की नोटिस प्रेषित करने के बाद किन्तु ई-वोटिंग हेतु निर्धारित कट-ऑफ़ तारीख अर्थात् 21 सितंबर, 2015 को अथवा उससे पूर्व बैंक का सदस्य बनता है तो वह यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए ई-मेल आईडी evoting@karvy.com पर कार्की को अनुरोध कर सकता है/सकती है. तथापि, कार्की उन नए सदस्यों को यूजर आईडी और पासवर्ड भेजने का प्रयास करेगा जिनके मेल आईडी उपलब्ध हैं.
- त) ई-वोटिंग तथा मतदान के समेकित परिणामों की जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों को दी जाएगी तथा बैंक की एवं ई-वोटिंग एजेंसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी.

ख. बैठक के दौरान मतदान :

कार्यसूची के मद पर वोटिंग की कार्यवाही ई-वोटिंग अथवा मतदान के जरिए होगी न कि हाथ उठाकर. जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग विकल्प को नहीं चुना है वे असाधारण सामान्य बैठक के समय आयोजित होने वाली मतदान प्रक्रिया में भाग लेने और वोट देने के लिए पात्र होंगे. ऐसे शेयरधारक जिन्होंने मीटिंग की तारीख से पहले रिमोट ई-वोटिंग से अपने मत का उपयोग कर लिया है, वे मीटिंग में भाग तो ले सकते हैं, परंतु वे मीटिंग के दौरान पुनः मत देने के हकदार नहीं होंगे.

कार्यसूची के मद पर चर्चा के उपरान्त, अध्यक्ष कार्यसूची के मद पर मतदान के लिए आदेश देंगे. मतदान की प्रक्रिया तथा उसकी देख-रेख का कार्य उस उद्देश्य, से नियुक्त किए जाने वाले जांचकर्ता द्वारा किया जाएगा. मतदान संपन्न होने के बाद, अध्यक्ष द्वारा बैठक की समाप्ति की घोषणा की जाएगी. बैठक में उपस्थित शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को मत-पत्र जारी किए जाएंगे. शेयरधारक अपने मताधिकार का प्रयोग मत-पत्र की कार्य-सूची पर "FOR" अथवा "AGAINST" के सामने अपना विकल्प दर्शाने के लिए टिक मार्क (✓) लगाकर कर सकते हैं तथा सभा-कक्ष में इस उद्देश्य से रखी गयी मत पेटिका में मत-पत्र को डाल सकते हैं.

बैंक द्वारा ई-वोटिंग के परिणामों को शामिल करते हुए बैठक में हुए मतदान के समेकित परिणामों की जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों को दी जाएगी तथा बैंक की एवं ई-वोटिंग एजेंसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी.

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक में अपनी नोटिस की प्रति साथ लेकर आएँ.

Shareholders available at the download section of <https://evoting.karvy.com> or contact Mr. S.V. Raju, (Unit- Bank of Baroda) of Karvy Computershare Pvt. Ltd. at phone no. 040 6716 2222 or at 1800 345 4001 (toll free).

- n) It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.
- o) In case a person has become a member of the bank after dispatch of EGM Notice, but on or before the cut-off date for E-voting i.e. 21st September 2015, he/she may write to Karvy on the Email ID: evoting@karvy.com requesting for User ID and Password. However, Karvy shall endeavor to send User ID and Password to those new members whose mail IDs are available.
- p) The aggregated results of e-voting and Poll will be informed to the stock exchanges and also posted on the website of the Bank as well as of the E-voting Agency.

B. Voting at the Meeting:

The voting for the agenda item shall be done by e-voting or by Poll and not on show of hands. Those who have not exercised the option of remote e-voting shall be entitled to participate and vote in the Voting Process to be conducted at the venue of the EGM on the date of the meeting. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

After the agenda item has been discussed, the Chairman of the Meeting will order Voting in respect of agenda item. Voting will be conducted and supervised under Scrutinizers to be appointed for the purpose. After conclusion of the Voting, the Chairman shall declare the meeting as closed. The Ballot Paper/s will be issued to the Shareholders / Proxy holders/ Authorized Representatives present at the meeting. The Shareholders may exercise their right of vote by tick marking as (✓) against "FOR" or "AGAINST" as his choice may be, on the Agenda Item in the Ballot paper and drop the same in the Ballot Box kept at the meeting hall for the purpose.

The Consolidated Results of the Voting at the Meeting aggregated with the results of e-voting will be informed to the stock exchanges and also posted on the website of the Bank as well as of the E-voting Agency.

SHAREHOLDERS ARE REQUESTED TO BRING THEIR COPIES OF THE NOTICE TO THE MEETING.

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण संबंधी आवश्यकताएं) अधिनियम, 2009 के अनुसार अपेक्षित व्याख्यात्मक विवरण एवं प्रकटीकरण, अद्यतन तारीख तक यथा संशोधित.

क) अधिमान निर्गम का उद्देश्य

आस्तियों में निरंतर वृद्धि हासिल करने एवं सुदृढ़ सीआरएआर बनाए रखने हेतु पूंजी को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई क्योंकि आस्तियों में अपेक्षित वृद्धि सुनिश्चित करने और बैंक की अनुषंगियों और सहायक कंपनियों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग परिचालनों को समर्थित करने हेतु अपेक्षित पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु केवल लाभ का पुनर्निवेश ही पर्याप्त नहीं होगा.

भारत सरकार ने, अपने पत्र सं.एफ.नं. 7/38/2014-बीओए दिनांक 19 अगस्त, 2015 द्वारा हमारे बैंक को अधिमानता आधार पर अर्थात् सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार, निर्धारित की जानेवाली प्रीमियम पर नकद मूल्य 2 रुपए (दो रुपए केवल) प्रति इक्विटी शेयर जिनका कुल मूल्य रुपए 1786 करोड़ (रुपए एक हजार सात सौ छियासी करोड़ केवल) है, हमारे बैंक के इक्विटी शेयरों के अर्जन की इच्छा व्यक्त की है तथा तदनुरूप अनुमति प्रदान की है.

जुटाई गई पूंजी का इस्तेमाल पूंजी पर्याप्तता को बेहतर बनाने एवं बैंक की सामान्य व्यावसायिक जरूरतों के निधीयन हेतु किया जाएगा जिसमें बैंक की अनुषंगियों एवं सहायक कंपनियों द्वारा किए जाने वाले राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग परिचालन को समर्थित करना भी शामिल है.

ख) चूंकि संपूर्ण निर्गम भारत सरकार यानी प्रवर्तक को प्रस्तावित है अतः नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा. निर्गम मूल्य सेबी आईसीडीआर विनियमों, अद्यतन तारीख को यथा संशोधित, के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा.

ग) निर्गम-पूर्व एवं उपरांत शेयरधारिता का स्वरूप

क्र.सं.	श्रेणी	निर्गम पूर्व (21 अगस्त 2015 को)		निर्गम उपरांत	
		धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता प्रतिशत
i	प्रवर्तकों की धारिता (भारत सरकार)	127,22,76,886	57.53	**	**
ii	गैर प्रवर्तक धारिता	93,92,19,020	42.47	93,92,19,020	**
	कुल	221,14,95,906	100.00	**	100.00

**भारत सरकार को अधिमानता आधार पर निर्गम 2/- रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर, अपेक्षित संख्या में 'नकद मूल्य पर सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुरूप' निर्धारित प्रीमियम पर जारी होंगे जिनका कुल मूल्य 1786/- करोड़ रुपए तक होगा. जारी किए जाने वाले शेयरों की वास्तविक संख्या तथा उसके परिणामस्वरूप निर्गमोपरांत भारत सरकार की शेयरधारिता को बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा असाधारण सामान्य बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा.

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Securities & Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, as amended up to date.

a. Objects of the Preferential Issue

In order to achieve a sustainable growth in its assets and maintaining robust CRAR, need is felt for augmenting capital as the plough back of profits alone would not be adequate enough to meet the required capital to support the envisaged asset growth and to support national and international banking operations undertaken through Bank's subsidiaries and associates.

Governments of India vide its letter no. F. No. 7/38/2014-BOA dated 19th August 2015, has expressed its intention and has given its approval to acquire equity shares of our Bank on a preferential basis i.e. upto such number of equity shares of ₹ 2/- each (Rupees Two only) for cash at a premium to be determined in accordance with SEBI ICDR Regulations, aggregating upto ₹ 1786/- crore (Rupees One Thousand Seven Hundred and Eighty Six Crore only).

The capital raised would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund general business needs of the Bank including supporting national and international banking operations undertaken through Bank's subsidiaries and associates.

b. **As the entire issue is proposed to GOI, the Promoter, there would not be any change in control.** The Issue Price shall be determined in accordance with SEBI ICDR Regulations, as amended up to date.

c. Shareholding Pattern before and after the Issue

Sl. No.	Category	Before the Issue (As on 21 st August 2015)		After the issue	
		No. of shares held	Percentage of share-holding	No. of shares held	Percentage of share-holding
i	Promoter's Holding (Government of India)	127,22,76,886	57.53	**	**
ii	Non -Promoter Holding	93,92,19,020	42.47	93,92,19,020	**
	Total	221,14,95,906	100.00	**	100.00

**The Preferential Issue to Govt. of India will be of such number of equity shares of ₹ 2/- each for cash at a premium to be determined in accordance with SEBI ICDR Regulations, aggregating upto ₹ 1786/- crore. The exact number of shares to be issued and resultant post-issue Shareholding of Government of India will be placed on the Bank's website and also in the EGM.

- घ) निर्गम मूल्यक का निर्धारण, सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, अद्यतन संशोधित, के अध्याय VII में अधिमान निर्गम के लिए लागू एवं यथा वर्णित विनियमों के अनुरूप किया जाएगा.
- ङ) बैंक, सेबी आईसीडीआर विनियमों में विनिर्दिष्ट समय सीमा के अंदर निर्गम प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश करता है.
- च) सेबी आईसीडीआर विनियमों की शर्तों के अनुसार भारत सरकार की पूर्व अधिमान धारिता संबद्ध तारीख से छह महीनों के लिए लॉक-इन रहेगी. विशेष संकल्प के अनुसरण में आर्बटि शेयरों की ट्रेडिंग के लिए स्टॉक एक्सचेंज द्वारा दी गयी अनुमति की तारीख से यह प्रक्रिया प्रभावी होगी.
- छ) भारत सरकार की शेयरधारिता निर्गम पूर्व एवं निर्गम उपरांत निम्नानुसार होगी :

	शेयरों की संख्या	पूंजी का प्रतिशत
निर्गम पूर्व (21 अगस्त 2015 को)	127,22,76,886	57.53
निर्गम उपरांत	** उपरोक्त ग) में दी गई टिप्पणी के अनुसार	** उपरोक्त ग) में दी गई टिप्पणी के अनुसार

- ज) बैंक का इक्विटी शेयर छब्बीस सप्ताह से अधिक समय से सूचीबद्ध है. अतः सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 76(3) एवं 78(5) और सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2009 के विनियम 73(1) (एफ) तथा (जी) के अंतर्गत प्रकटीकरण संबंधी प्रावधान लागू नहीं हैं.
- झ) भारत सरकार को जारी किए जानेवाले एवं आर्बटि किए जाने वाले शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज द्वारा ट्रेडिंग अनुमोदन की स्वीकृति तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक लॉक-इन रहेंगे.
- ञ) सांविधिक लेखापरीक्षक(कों) द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र कि यह निर्गम इन विनियमों की अपेक्षाओं के अनुकूल किया जा रहा है, असाधारण सामान्य बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा.
- ट) भारत सरकार द्वारा धारित सभी शेयर अभौतिक रूप में हैं तथा बैंक द्वारा इक्विटी शेयर की निरंतर सूचीबद्धता की शर्तों, जैसा कि उन स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार में विनिर्दिष्ट है जिसमें कि बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, का पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है.
- ठ) भारत सरकार द्वारा संबद्ध तारीख से पहले के छह महीनों के दौरान बैंक का कोई इक्विटी शेयर नहीं बेचा गया है.
- ड) स्टॉक एक्सचेंजों के साथ निष्पादित सूचीबद्ध समझौते के उपबंध 23 के अनुसार एवं सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 72 के अनुरूप अधिमानता आधार पर शेयरों को जारी करने एवं आर्बटन करने हेतु विशेष संकल्प द्वारा शेयरधारकों का अनुमोदन अपेक्षित है.
- ढ) बैंक, जहां भी अपेक्षित हो, सेबी आईसीडीआर विनियमन के प्रावधानों के अनुसार इक्विटी शेयरों के मूल्य की पुनः गणना करने का वचन देता है.
- d. The Issue Price will be determined in accordance with the Regulations as applicable for Preferential Issues as contained in Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations as amended till date.
- e. The Bank endeavours to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations.
- f. In terms of SEBI ICDR Regulations, pre-preferential holding of GOI shall be locked-in from the Relevant Date up to a period of six months from the date of Trading Approval granted by the Stock Exchange for the shares allotted pursuant to the Special Resolution.
- g. The Pre and Post issue shareholding of Government of India would be as under:

	Number of Shares	Percentage to Capital
Pre- issue (As on 21 st August 2015))	127,22,76,886	57.53
Post –issue	** as per remarks given at (c) above	** as per remarks given at (c) above

- h. The equity shares of the Bank have been listed for more than twenty six weeks and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations and the disclosures under Regulation 73 (1) (f) & (g) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 are not applicable.
- i. The shares to be issued and allotted to GOI shall be locked in for a period of three years from the date of Trading Approval granted by the Stock Exchanges.
- j. The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.
- k. All the shares held by Government of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.
- l. The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.
- m. In terms of Clause 23 of the Listing Agreement with Stock Exchanges and in terms of Regulation 72 of SEBI ICDR Regulations approval of the Shareholders of the Bank is required by way of Special Resolution to issue and allot shares on preferential basis.
- n. The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of the SEBI ICDR Regulations where it is required to do so.

ण) बैंक वचन देता है कि यदि मूल्य की पुनः गणना के कारण देय राशि का भुगतान इन विनियमों में निर्धारित समय में नहीं किया जाता है तो आबंटिती द्वारा इस राशि का भुगतान नहीं किए जाने तक विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां लॉक-इन ही रहेंगी.

त) आपके निदेशकगण इस विशेष संकल्प को पारित करने की सिफारिश करते हैं.

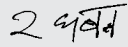
बैंक के किसी भी निदेशक का इस संकल्प से कोई वास्ता अथवा इसमें हित निहित नहीं है.

o. The Bank undertakes that if the amount payable on account of re-computation of price is not paid within the time stipulated in these Regulations, the specified securities shall continue to be locked in till the time such amount is paid by the allottee.

p. Your Directors recommend passing of the Special Resolution.

None of the Directors of the Bank are concerned or interested in the resolution.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते बैंक ऑफ बड़ौदा


(रंजन धवन)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 25 अगस्त, 2015

प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

By order of Board of Directors
For **BANK OF BARODA**



(Ranjan Dhawan)
Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: 25th August, 2015

बैंक ऑफ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय - मांडवी, बड़ौदा - 390 006

फॉर्म बी

प्रॉक्सी फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाए)

पंजीकृत फोलियों नं.		डीपीआईडी नं.	
		ग्राहक आईडी नं.	
(यदि शेयर डिमैटेरियलाइज्ड रूप में नहीं हों तो)		(यदि शेयर डिमैटेरियलाइज्ड रूप में हों)	
शेयरों की संख्या			

मैं/हम _____ निवासी _____

_____ जिला _____ राज्य _____

बैंक ऑफ बड़ौदा का / के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा श्री/श्रीमती _____ निवासी

_____ जिला _____ राज्य _____ को अथवा उनकी अनुपस्थिति में

श्री/श्रीमती _____ निवासी _____

जिला _____ राज्य _____ को सोमवार, 28 सितंबर, 2015 को प्रातः 10.30 बजे सर सयाजीराव नगरगृह,

वडोदरा महानगर सेवा सदन, टी.पी.-1, एफ.पी.549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा, वडोदरा - 390 020 में या इसकी किसी भी

स्थगित तारीख को बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरधारकों की होने वाली असाधारण सामान्य बैठक में मेरी / हमारी ओर से बैठक में भाग लेने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं.

दिनांक _____ माह _____ 2015 को हस्ताक्षरित

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर _____

नाम : _____

पता : _____

रसीदी
टिकट यहां
चिपकाएं

प्रथम शेयरधारक/एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर करने एवं इसे जमा करने संबंधी अनुदेश

1. प्रॉक्सी का कोई लिखत तभी वैध माना जाएगा जब-
 - क. यह एकल शेयरधारक व्यक्ति के मामले में, शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो, अथवा
 - ख. संयुक्त धारकों के मामले में, यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो, अथवा
 - ग. कार्पोरेट निकाय के मामले में, उसके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा कॉमन सील, यदि कोई हो, के तहत निष्पादित हो अथवा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा अन्यथा रूप में हस्ताक्षरित हो.

बशर्ते प्रॉक्सी लिखत शेयरधारक द्वारा उपयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए परंतु यदि किसी कारण से वह अपना नाम लिखने में असमर्थ है और उसके अंगूठे का निशान लगाया गया है तब यह तभी वैध माना जाएगा जब इसे किसी न्यायाधिश, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेन्सेस या किसी अन्यी सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ बड़ौदा के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो.
2. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक विधिवत स्टांपित न हो और उसकी कॉपी बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् बुधवार, 23 सितंबर, 2015 को सायं 5:00 बजे तक या उससे पूर्व बैंक ऑफ बड़ौदा,

- केवाईसी एवं एएमएल विभाग, प्रधान कार्यालय, आठवां तल, सूरज प्लाजा-1, सयाजीगंज, वडोदरा - 390005 में बैंक की कार्य समाप्ति पर या इससे पूर्व जमा न कराया गया हो. इसके साथ उस मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत इसे हस्ताक्षर किया गया हो या उस मुख्तारनामा की प्रति या प्राधिकार की प्रति जिसे नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा सत्यप्रमाणित किया गया हो, को जमा न कराया गया हो, बशर्ते ऐसा मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार, बैंक में/इसके शेयर अंतरण एजेंट के पास पूर्व में जमा तथा पंजीकृत न किया गया हो.
3. यदि संबंधित मुख्तारनामा पहले से ही पंजीकृत हो तो मुख्तारनामे की पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख का उल्लेख किया जाना चाहिए.
4. प्रॉक्सी का लिखत फार्म "बी" में होने पर ही वैध माना जाएगा.
5. बैंक के पास जमा किया गया प्रॉक्सी - लिखत अपरिवर्तनीय और अंतिम होगा.
6. विकल्प के तौर पर दो गारंटियों के पक्ष में दिए गए प्रॉक्सी-लिखत के मामले में, एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा.
7. प्रॉक्सी-लिखत निष्पादित करने वाला शेयरधारक असाधारण सामान्य बैठक में व्यक्तिगत रूप में मतदान का हकदार नहीं होगा.
8. किसी भी व्यक्ति को, जो बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी है, ऐसा विधिवत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा.
9. प्रॉक्सी फार्म में किए गए सभी परिवर्तन विधिवत रूप से अधिप्रमाणित किए जाने चाहिए.

Bank of Baroda
Head Office: Mandvi, Baroda – 390 006

FORM 'B'

FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the Shareholders)

Regd. Folio No.		DP ID	
		Client ID	
(If shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	
No. of Shares			

I/We _____ Resident/s of _____ in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder/s of BANK OF BARODA, hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ or failing him/her, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ as my / our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the **Extraordinary General Meeting** of the Shareholders of the **Bank of Baroda** to be held on the **Monday, 28th September 2015 at 10.30 a.m.** at Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, T. P. – 1, F. P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020, and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2015.

Signature of the Proxy _____

Name : _____

Address : _____

Please affix
Revenue
Stamp

Signature of first named / sole shareholder

Instructions for signing and lodging the Proxy Form

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
 - a) in the case of an individual Shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney, duly authorized in writing, or
 - b) in the case of joint holders, it is signed by the Shareholder first named in the register or his/ her attorney, duly authorized in writing, or
 - c) in the case of a body corporate signed by its officer and executed under its Common Seal, if any or otherwise signed by its attorney duly authorized in writing.

Provided that an instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any Shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark/thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge or Magistrate or Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of Baroda.
2. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof is deposited at the Head Office of the Bank at Bank of Baroda, KYC & AML Department, 8th Floor, Suraj Plaza-1, Sayajiganj, Vadodara- 390 005, not less than FOUR DAYS before the date fixed for the Extraordinary General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on Wednesday,

23rd September 2015 together with the Power of Attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank/ its Share Transfer Agent.

3. In case the relevant Power of Attorney is already registered, the registration number of the Power of Attorney and the date of such registration may be mentioned.
4. No instrument of the proxy shall be valid unless it is in Form "B"
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one Form shall be executed.
7. The granter of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Bank of Baroda.
9. All alterations in the Proxy Form should be duly authenticated.



बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

India's International Bank